न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–40/2017/भीलवाड़ा (2017/00072)

1. श्रीमती अमृत कंवर पत्नि दशरथसिंह, जाति राजपूत, निवासी कमालपुरा तह. तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

अपीलांट

बनाम

1. शंभूसिंह पुत्र गंगासिंह, जाति राजपूत, नि0 कमालपुरा तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाडा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बनेड़ा, जिला भीलवाडा ।

रेस्पोर्डेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेडा, जिला भीलवाड़ा दिनांक 23.3.2017 प्रकरण संख्या 71/2016 .

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री हेमसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या .
3. श्री सुवालाल गुंजल, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांक :– 30.7.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.3.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0–भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कमलापुरा, तहसील बनेड़ा में अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 9/2 रकबा

1 बीघा 5 बिस्वा अवस्थित है । उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार मनोहरसिंह, रामसिंह, हमीरसिंह, शंभूसिंह पिता गंगासिंह, देवीसिंह, ओंकार सिंह, राजसिंह, संग्रामसिंह, नरपतसिंह, गणपतसिंह पिता सरदारसिंह की संयुक्त खातेदारी की आराजी किता 30 रकबा 77.10 बीघा में आपसी सहमति से हुए विभाजन आदेश दिनांक 1.11.1997 की पालना में आराजी नंबर 9/2 रकबा 1.05 बीघा रामसिंह पिता गंगासिंह के हिस्से एवं खाते में रखी गई थी तथा राजस्व नक्शा शीट में उक्त आराजी देवली–भीलवाड़ा रोड़ से सटा हुआ दर्ज किया गया है एवं उसी अनुसार नामांतकरण संख्या 200 दिनांक 12.11.1997 के साक्ष्य चस्पा नक्शा शीट में भी आराजी नंबर 9/2 को उक्त सड़क से लगा हुआ दर्शाया एवं जिसे उसकी अन्य आराजियात को रामसिंह के द्वारा अपीलांट को दिनांक 4.5. 2010 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया गया एवं विक्रय पत्र में भी खसरा नंबर 9/2 को देवली–भीलवाड़ा रोड़ से सटा हुआ होना बताया गया था किन्तु वक्त बंदोबस्त वर्ष 2014 में राजस्व नक्शा शीट में अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 9/2 के स्थान पर रेस्पो0 की आराजी खसरा संख्या 9/3 की त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दी गई जिसको दुरूस्त करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 23.3.2017 द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आदेश पारित किया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नहीं किया कि ग्राम कमालपुरा स्थित अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 9/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित है, जो तत्कालीन खातेदार मनोहरसिंह, रामसिंह, हमीरसिंह, शंभूसिंह पिता गंगासिंह, देवीसिंह, ओंकार सिंह, राजसिंह, संग्रामसिंह, नरपतसिंह, गणपतसिंह पिता सरदारसिंह की संयुक्त खातेदारी की आराजी किता 30 रकबा 77.10 बीघा में आपसी सहमति से हुए विभाजन आदेश दिनांक 1.11.1997 की पालना में विवादित आराजी खसरा संख्या 9/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि रामसिंह पिता गंगासिंह के हिस्से एवं खाते में रखी गई थी तथा उक्त आराजी राजस्व नक्शा शीट में देवली–भीलवाड़ा रोड़ से सटा हुआ दर्ज किया गया है एवं उसी अनुसार नामांतकरण संख्या 200 दिनांक 12.11.1997 के साथ चस्पा नक्शा शीट में भी आराजी खसरा नंबर 9/2 को उक्त सड़क से लगा हुआ दर्शाया गया जिसे खातेदार

रामसिंह ने अन्य आराजियात के साथ जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4.5.2010 को बेचान कर कब्जा संभलाया है । उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र में भी खसरा संख्या 9/2 को देवली–भीलवाड़ा रोड़ से सटा हुआ बताया गया है किन्तु इसके बावजूद बंदोबस्त विभाग ने बंदोबस्त के दौरान अपीलाटं की आराजी संख्या 9/2 के स्थान पर रेस्पो0 की आराजी खसरा संख्या 9/3 की त्रटिपूर्ण तरमीम नक्शा शीट में कर दी जो दुरूस्त किये जाने योग्य थी। अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र मात्र यह कहकर अपास्त किया है कि अपीलांट ने तत्कालीन सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जबकि सहखातेदार द्वारा भूमि का विक्रय अपीलांट को किया जा चुका है इसलिये उनको पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं थी । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को उक्त अनुतोष के संबंध में वाद प्रस्तुत करने का निर्देश देने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 136 अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 23.3.2017 अपास्त किया जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 स्वीकार किया जावे । xx

4- विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । भू–प्रबंध के दौरान हुई त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार धारा 136 एल0 आर0एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी को है किन्तु भू–प्रबंध के उपरांत अशुद्धी को दुरूस्त करने का प्रावधान एल0आर0एक्ट की धारा 136 में नहीं है । अपीलंट ने जो अनुतोष चाहा है वह वाद अंतर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 के तहत ही प्राप्त किया जा सकता है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि आराजी संख्या 9/3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा पर रेस्पो0 आराजियात के विभाजन के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। भू–अभिलेख अधिकारी द्वज्ञरा तैयार मौका निरीक्षण में भी आराजी संख्या 9/3 देवली–भीलवाड़ा सड़क से सटी हुई बताया गया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलांट का प्रार्थना पत्र अपास्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2011–12 पेज 284 एवं आर0आर0डी0 1977 पेज 276 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस पर मनन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी संख्या 9/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि एवं अन्य आराजियात कुल किता 30 रकबा 77.10 बीघा भूमि तत्कालीन खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की आराजी थी जो आपसी सहमति से हुए विभाजन आदेश दिनांक 1.11.1997 की पालना में आराजी खसरा नंबर 9/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा रामसिंह पिता गंगासिंह के हिस्से एवं खाते में रखी गई थी तथा

तत्समय राजस्व नक्शा शीट में उक्त आराजी को देवली–भीलवाड़ा रोड़ से सटा हुआ बताया गया था । अपीलांट ने उक्त आराजी अन्य आराजियात के साथ खातेदार रामसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4.5.2010 को क्रय की थी तथा उक्त विक्रय पत्र में भी विवादित आराजी को देवली–भीलवाड़ा रोड़ से सटा हुआ बताया गया है किन्तु भू–प्रबंध के दौरान अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 9/2 के स्थान पर राजस्व नक्शा शीट में खसरा संख्या 9/3 अंकित कर दिया है जो गलत है । अपीलांट के उक्त कथनों से स्पष्ट है कि अपीलांट ने भू–संशोधन में हुए त्रुटि को दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है । इस संबंध हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि अशुद्धी सेटलमेंट के पश्चात् की है, अशुद्धी के रहते हुए ही विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है जिसमें भी आराजी संख्या 9/2 अंकित है । अतः उक्त शुद्धी धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के बिना संभव नहीं है। धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत केवल इंद्राज परिवर्तन के समय हुई त्रुटियों को ही दुरूस्त किया जा सकता है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रविष्टियों को दुरूस्त केवल वाद पेश करके ही किया जा सकता है न कि धारा 136 के अंतर्गत–संक्षिप्त कार्यवाही के अंतर्गत । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें हम कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 23.3.2017 यथावत् रखे जाने योग्य ाया जाता है ।

–:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 40/2017 (2017/00072) बउनवानी श्रीमती अमृत कंवर बनाम शंभूसिंह को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 71/2016 बउनवान श्रीमती अमृत कंवर बनाम शंभूसिंह में पारित निर्णय दिनांक 23. 3.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर